भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 179

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: मध्य प्रदेश में किसानों के लिए योजनाएं

*179. श्रीमती भारती पारधीः

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को वित्तीय सहायता,राजसहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाएं प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष लगभग 50,000 रुपये की सहायता सुनिश्चित करती हैं,यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार के रूप में लागू करने का विचार है,यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार किसानों को गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"मध्य प्रदेश में किसानों के लिए योजनाएं" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ श्रीमती भारती पारधीः और श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 179 के भाग (क) से (ङ) का उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसने देश भर में कृषि को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कृषि के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की एक व्यापक श्रृंखला कार्यान्वित की गई है। इन योजनाओं के अलावा, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि शामिल है, जिसे वर्ष 2013-14 में 30,224.38 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 127202.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश सहित देश भर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का विवरण **अनुबंध-I में दिया गया है** ।

(ग) से (ङ) भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। सीएसीपी एमएसपी का सुझाव देते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है, जिसमें समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव शामिल हैं। भूमि, जल और उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण विचार है।

वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार ने पूर्व निर्धारित सिद्धांत के रूप में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया। जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के मार्जिन के साथ निर्धारित किया गया है।

सरकार की मूल्य नीति किसानों को एमएसपी पर उनकी उपज की खरीद करके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। तथापि, किसान अपनी उपज को सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर या खुले बाजार में,जो भी उनके लिए फायदेमंद हो,बेचने के लिए स्वतंत्र हैं ।

सभी रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी का विवरण **अनुबंध II में दिया गया है** ।

अनुबंध I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस)
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
9. स्टार्ट अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
10. नमो ड्रोन दीदी
2 केंद्र प्रायोजित योजना
(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
(ख) कृषोन्नति योजना
1. एकीकृत कृषि विपणन योजना - राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम-ईएनएएम)
2. एकीकृत कृषि विपणन योजना-अन्य (आईएसएएम-अन्य)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएम)
4. राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ)
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम तेल मिशन (एनएमईओ -ओपी)
6. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
8. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
9. डिजिटल कृषि
(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)
2. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता
5. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि वानिकी
7. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) (फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) अब (एसएमएएम के साथ विलय)
8. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

अनुबंध II

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रु. प्रति क्विन्टल में)

क्र.सं.	वस्तुएँ	केएमएस 2018-19	केएमएस 2019-20	केएमएस 2020-21	केएमएस 2021-22	केएमएस 2022-23	केएमएस 2023-24	केएमएस 2024-25
	खरीफ फसलें							
1	धान (सामान्य)	1750	1815	1868	1940	2040	2183	2300
	धान (ग्रेड 'ए')	1770	1835	1888	1960	2060	2203	2320
2	ज्वार (हाइब्रिड)	2430	2550	2620	2738	2970	3180	3371
	ज्वार (मालडांडी)	2450	2570	2640	2758	2990	3225	3421
3	बाजरा	1950	2000	2150	2250	2350	2500	2625
4	रागी	2897	3150	3295	3377	3578	3846	4290
5	मक्की	1700	1760	1850	1870	1962	2090	2225
6	अरहर (तूर)	5675	5800	6000	6300	6600	7000	7550
7	मूँग	6975	7050	7196	7275	7755	8558	8682
8	उड़द	5600	5700	6000	6300	6600	6950	7400
9	कपास (मध्यम रेशा)	5150	5255	5515	5726	6080	6620	7121
	कपास (लंबा रेशा)	5450	5550	5825	6025	6380	7020	7521
10	मूँगफली	4890	5090	5275	5550	5850	6377	6783
11	सूरजमुखी बीज	5388	5650	5885	6015	6400	6760	7280
12	सोयाबीन पीला	3399	3710	3880	3950	4300	4600	4892
13	तिल	6249	6485	6855	7307	7830	8635	9267
14	नाइजरसीड	5877	5940	6695	6930	7287	7734	8717
	रबी फसलें	**आरएमएस 2019-20**	**आरएमएस 2020-21**	**आरएमएस 2021-22**	**आरएमएस 2022-23**	**आरएमएस 2023-24**	**आरएमएस 2024-25**	**आरएमएस 2025-26**
15	गेहूँ	1840	1925	1975	2015	2125	2275	2425
16	जौ	1440	1525	1600	1635	1735	1850	1980
17	ग्राम	4620	4875	5100	5230	5335	5440	5650
18	मसूर	4475	4800	5100	5500	6000	6425	6700
19	रेपसीड और सरसों	4200	4425	4650	5050	5450	5650	5950
20	कुसुम	4945	5215	5327	5441	5650	5800	5940
	वाणिज्यिक फसलें							
21	वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
	पटसन	3700	3950	4225	4500	4750	5050	5335
22	वर्ष	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	खोपरा (मिलिंग)	7511	9521	9960	10335	10590	10860	11160
	खोपरा (बॉल)	7750	9920	10300	10600	11000	11750	12000

नोट: सरकार ने 2025 सीजन के लिए मिलिंग खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए एमएसपी 11582/- रुपये प्रति क्विंटल और बाल खोपरा के लिए 12100/- रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी बढ़ाकर 5650/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

*****